Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 23/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।";

(ii) व्याख्या में, खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" से वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 2 के खण्ड (10) में दिया गया है।"।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 23/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be added, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (Central Act 4 of 1938).'.

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55941—C.S.—H.G.P., Chd.